

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान बोयतराम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 308/2025

निर्णय दिनांक 19/08/2025

बोयतराम पुत्र प्रेमराम जाति कुम्हार निवासी गडाना तहसील तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

--:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा गडाना पटवार हल्का गडाना तहसील तारानगर के खाता संख्या 114 के खसरा सं. 299 तादादी 0.1897 हैक्ट., ख.नं. 510/212 तादादी 0.7081, के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में भूलवश व गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी बोयतराम का नाम बोहितराम दर्ज हो गया, जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का सही नाम बोयतराम है। प्रार्थी का नाम उक्त खसराजात की जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बोयतराम अंकित है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम बोयतराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम बोहितराम पुत्र प्रेमराम व बोयतराम पुत्र प्रेमराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम बोयतराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बोहितराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा गडाना पटवार हल्का गडाना तहसील तारानगर के खाता संख्या 114 के खसरा सं. 299 तादादी 0.1897 हैक्ट., ख.नं. 510/212 तादादी 0.7081, के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बोहितराम Delete कर इसके स्थान पर बोयतराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलिय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)